सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या– 247 / एक-11-2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं
बेसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त,
मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11

लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2020

विषय–जनपद स्तर पर संचालित कन्ट्रोल रूम के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य स्तर पर एकीकृत आपदा प्रबन्धन केन्द्र का निरन्तर जनपदों में स्थापित जिला कन्ट्रोल रूम से सम्पर्क कर कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा की जा रही कार्यवाहियों का अनुश्रवण किया जा रहा है।

आप विदित हैं कि एकीकृत आपदा प्रबन्धन केन्द्र को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी भी समय जिला कन्ट्रोल रूम अथवा अन्य किसी स्थल जैसे–कम्यूनिटी किचन, अस्थाई स्क्रीनिंग कैम्प / आश्रय स्थल / क्वारंटाईन कैम्प के नोडल अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है। मुख्यालय स्तर पर किये जा रहे अनुश्रवण के दौरान निम्न मुख्य बातें परिलक्षित हुई हैं:–

1– कतिपय जनपदों में नोडल अधिकारी के रूप में पालीवार ए0डी0एम0 स्तर के अधिकारी को इन्चार्ज बनाया गया है। परन्तु अक्सर देखा गया है कि सम्पर्क करने पर नोडल अधिकारी कन्ट्रोल रूम में उपस्थित नहीं मिल रहे हैं। इस समय ए0डी0एम0 फील्ड वर्क में व्यस्त हैं। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि उचित वरिष्ठता के अन्य अधिकारियों को पालीवार कन्ट्रोल रूम का इन्चार्ज बनाया जाये ताकि उनकी प्रत्येक समय कन्ट्रोल रूम में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

2– कन्ट्रोल रूम में विभागों के सक्षम स्तर के अधिकारी की तैनाती भी प्रत्येक पाली में सुनिश्चित की जाये, जिसमें मुख्यतः खाद्य एवं रसद, कृषि विपणन, दुग्ध, पशुपालन, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, नगर विकास, श्रम तथा पुलिस आदि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहें ताकि आवश्यकता पड़ने पर एक ही छत के नीचे किसी भी विषय से सम्बन्धित जानकारी अथवा किसी भी समस्या का समाधान उचित तरीके से किया जा सके।

3– जनपदों मे संचालित हो रहे कन्ट्रोल रूम में आवश्यक सूचनाओं का अभाव है तथा नोडल अधिकारी मुख्यालय द्वारा मांगी जा रही सूचनाओं को देने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कृपया यह सुनिश्चित करें कि कन्ट्रोल रूम में सभी सम्बन्धित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर, कृषि उत्पादन आयुक्त, पुलिस, श्रम, नगर विकास, ग्राम्य विकास, राजस्व तथा अन्य विभागों द्वारा दैनिक रूप से निर्धारित प्रारूपों पर मांगी जा रही सूचना प्रत्येक अवस्था में नोडल अधिकारी के

Scanned with CamScanner

पास उपलब्ध हो तथा प्रत्येक पाली के नोडल अधिकारियों की ठीक प्रकार से ब्रीफिंग की गयी हो ताकि वह समस्त प्रकार की सूचनाओं से अवगत हों।

4— विशेष रूप से जनपदों में संचालित हो रहे **कम्यूनिटी किचन, अस्थाई स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल/क्वारंटाईन कैम्प** की सूचना नोडल अधिकारी की जानकारी में होना अनिवार्य है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके जनपदों में संचालित किये जा रहे कम्यूनिटी किचन का पता, संचालित कर रहे नोडल अधिकारी का नाम व मोबाईल नम्बर तथा इसी प्रकार आश्रय स्थल/क्वारंटाईन कैम्प का पता, संचालित कर रहे नोडल अधिकारी का नाम व मोबाईल नम्बर का विवरण कन्ट्रोल रूम के नोडल अधिकारी के पास उपलब्ध हो।

कम्यूनिटी किचन व अस्थायी आश्रय स्थल के सुगम संचालन के बारे में आज दिनांक 09.04.2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी वीडियो कान्फ्रेंसिंग में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि समस्त जिलाधिकारी जनपद में स्थापित कम्यूनिटी किचन, अस्थाई स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल/क्वारंटाईन कैम्प में स्वयं जाकर निरीक्षण करें एवं इनमें पायी गयी कमियों को तुरन्त दूर करें। तदनुसार कृपया आप उक्त स्थलों का व्यापक निरीक्षण करने का कष्ट करें ताकि उनका संचालन सुगमतापूर्वक किया जा सके।

भवदीया,

09/4/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

Scanned with CamScanner